

प्रेस विज्ञप्तिथाना - फूलपुरकिशोर का अपहरण करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार; अपहृत बरामद

**पूर्व की घटना-** दिनांक 12.04.2024 को मुकदमा वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी के पति की बुआ के बड़े लड़के ने 01 लड़की के साथ कोर्ट मैरिज शादी किया जिसकी रंजिश के चलते लड़की के घर वालों ने बुआ के छोटे लड़के अवनीश को पन्नेलाल, संदीप, आकाश, व पिन्टू व सिन्टू व कुछ अज्ञात लोगों मिलकर मारापीट तथा जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 175/24 धारा 34,364,427,452,506 भादवि0 बनाम 1. पन्नेलाल पुत्र अज्ञात, 2.संदीप पुत्र अज्ञात, 3. आकाश पुत्र अज्ञात, 4. पिन्टू पुत्र अज्ञात, 5. सिन्टू पुत्र अज्ञात व 6. कुछ अज्ञात लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रज्जन द्विवेदी के द्वारा की जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 13.04.2024 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अपहृत किशोर को लेकर खान्जहापुर तिराहे से कही जाने वाले है इस सूचना पर उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा अभियुक्तों 1.मंगला प्रसाद उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 जलधारी ग्राम कोरई खुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 31 वर्ष 2. कुनाण उर्फ सिन्टू पुत्र स्व0 जलधारी ग्राम कोरई खुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष 3.पन्नालाल पुत्र रामदुलारे सा0 बनुआडीह थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 41 वर्ष 4.संदीप गौतम पुत्र पन्नालाल सा0 बनुआडीह थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 18 वर्ष 5. दीपक कुमार पुत्र अरविन्द कुमार सा0 बनुआडीह थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 19 वर्ष 6. आकाश गौतम पुत्र फेकू राम सा0 खुटहन थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष को समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहृत किशोर को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 175/24 धारा 34,364,427,452,506 भादवि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.मंगला प्रसाद उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 जलधारी ग्राम कोरई खुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 31 वर्ष .
2. कुनाण उर्फ सिन्टू पुत्र स्व0 जलधारी ग्राम कोरई खुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष
- 3.पन्नालाल पुत्र रामदुलारे सा0 बनुआडीह थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 41 वर्ष
- 4.संदीप गौतम पुत्र पन्नालाल सा0 बनुआडीह थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 18 वर्ष
5. दीपक कुमार पुत्र अरविन्द कुमार सा0 बनुआडीह थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 19 वर्ष
6. आकाश गौतम पुत्र फेकू राम सा0 खुटहन थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त (समस्त के विरुद्ध)

**बरामदगी-** अपहृत (अवनीश पुत्र सुवाष ग्राम बनवाडीह थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 15 वर्ष)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 रज्जन द्विवेदी, का0 अनुपम सिंह, का0 अमन, का0 मोनू, का0 इरशाद, का0 रजनीश, का0 विजेन्द्र थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना - अहरौलागांजा के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 13.04.2024 को उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम बरईपुर मंगारीपुर पुलिया से अभियुक्त मसरुफ अहमद पुत्र अजीज उम्र 45 वर्ष निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को 1 kg 300 ग्राम गांजा के साथ समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामादगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से ही 05 मुकदमों दर्ज है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** मसरुफ अहमद पुत्र अजीज उम्र 45 वर्ष निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-** 1 kg 300 ग्राम गांजा

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 154/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 50/2015 धारा 3/5/8 गो0अधि0 तथा 11 प0 क्रू0 अधि0 थाना अहरौला आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 534/2019 धारा 3/5A/8 गो0अधि0 तथा 11 प0 क्रू0 अधि0 थाना धनघटा संतकबीर नगर।
3. मु0अ0सं0 533/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा संतकबीर नगर।
4. मु0अ0सं0 532/2019 धारा 307 भादवि0 थाना धनघटा संतकबीर नगर।
5. मु0अ0सं0 646/2019 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना धनघटा संतकबीर नगर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 श्री प्रकाश मिश्रा, हे0 का0 सर्वेश यादव, का0 अरविन्द कुमार, का0 परिक्षित दुबे, का0 सौरभ राय थाना अहरौला आजमगढ़।

## थाना- जीयनपुर

### अवैध असलहा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12-04-2024 को उ0नि0 नीलमणि सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति रामगढ़ की तरफ से अवैध असलहा कारतूस के साथ आ रहा है इस सूचना पर उ0नि0 नीलमणि सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त सपन राय पुत्र स्व सुशील राय उर्फ बबलू राय नि0 ग्राम छीडी जमीन छीडी (कल्याणपुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को खिल्लू पट्टी नहर पुलिया से 01 तमंचा .315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 18:00 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 141/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मुन्नालाल यादव द्वारा की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** सपन राय पुत्र स्व सुशील राय उर्फ बबलू राय नि0 ग्राम छीडी जमीन छीडी (कल्याणपुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 141/2024 धारा 3/25A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

**बरामदगी-** 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 नीलमणि सिंह, का0 प्रवीण कुमार, का0 सिकन्दर बासफोर, का0 जयसिंह पटेल थाना जीयनपुर आजमगढ़।

## थाना- कोतवाली

### छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 11.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरी भाभी का आपरेशन हुआ था मैं अपनी पुत्री के साथ हास्पिटल में भाभी कि देख रेख के लिये रूकी थी कि अचानक अनिकेत S/O विवेक ग्राम व पो0 हाजीपुर थाना रौनापार व अन्य चार पांच लोगों नाम पता अज्ञात के साथ आकर हमारी पुत्री से छेड़खानी करने लगा विरोध करने पर गाली गलौज व जान मारने की धमकी दे रहा था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 206/24 धारा 354/504/506/34 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 12.04.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिकेत सिंह पुत्र विवेक कुमार सिंह नि0 हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को गुलामी का पुरा से समय करीब 15:50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** अनिकेत सिंह पुत्र विवेक कुमार सिंह नि0 हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 06/24 धारा 354/504/506/34 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 51/22 धारा 323,504,506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,
2. मु0अ0सं0 54/2022 धारा 307,325,342,504,506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,
3. मु0अ0सं0 364/2022 धारा 323,427,504,506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,
4. मु0अ0सं0 197/23 धारा 186,323,332,353,504,506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,
- 5 मु0अ0सं0 205/23 धारा 3 /25 शस्त्र अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ,
6. मु0अ0सं0 489/2023 धारा 279,337 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़,
- 7.मु0अ0सं0 91/24 धारा 323,504,506,34 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,
8. मु0अ0सं0 206/24 धारा 34,354,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0 नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल , काँ0 रणवीर यादव थाना कोतवाली आजमगढ़।

## थाना- कप्तानगंज

### अवैध तमंचा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 13.04.2024 को उ0नि0 काशी नाथ यादव मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति बडसरा आइमा पुलिया के पास अवैध तमंचा कारतूस के साथ बैठा है। इस सूचना पर उ0नि0 काशी नाथ यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त संतोष यादव पुत्र रमेश यादव निवासी खरकौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को 01 देशी तमंचा, 02 जिन्दा 12 बोर के साथ समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 103/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार अभियुक्त-** संतोष यादव पुत्र रमेश यादव साकिन- खरकौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-** 01 देशी तमंचा, 02 जिन्दा 12 बोर

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-** उ0नि0 काशी नाथ यादव, का0 अवधेश कुमार, का0 रोहित कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

## थाना- जीयनपुर

### सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 12.04.2024 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा रघुवंश सिंह पुत्र नरेन्द्र प्रताप सिंह हल्का लेखपाल भुवना बुजुर्ग तहसील सगडी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उपाजिलाधिकारी सगडी के आदेश के अनुपालन में ग्राम भुवना बुजुर्ग भुवना बुजुर्ग स्थित गाटा सं0- 748 मि/एव 752 मि का सीमांकन करने हेतु दिनांक 12-4-2024 आया था मौके पर प्रधानपति 1.श्यामअचल राजभर पुत्र रामेश्वर व 2.अनिल राजभर पुत्र रामेश्वर व 3.अभय राजभर पुत्र चन्दन व 4.जीतेन्द्र राजभर पुत्र रामेश्वर व 5.रविन्द्र राम पुत्र परशुराम आदि गोल बनाकर उपस्थित थे तथा सीमांकन में बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे और जब उनके मन के अनुसार परिणाम निकलता नहीं दिखा तो मुझसे (लेखपाल से) गाली गलौज किए तथा (नक्शा आदि) फाड़ दिये। मेरे द्वारा उन्हें बार-बार समझाने के बाद भी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा लाठी एवं डण्डा आदि से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 140/2024 धारा 34/323/332/353/504/506 भादवि0 बनाम – 1.श्यामअचल राजभर पुत्र रामेश्वर 2.अनिल राजभर पुत्र रामेश्वर 3.अभय राजभर पुत्र चन्दन 4. जीतेन्द्र राजभर पुत्र रामेश्वर 5. रविन्द्र राम पुत्र परशुराम समस्त समस्त निवासी ग्राम भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 13-04-2024 को व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.श्यामअचल राजभर पुत्र रामेश्वर निवासी भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2.रविन्द्र राम पुत्र परशुराम निवासी भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर आजमगढ़ को चुनगपार मोड से समय करीब 12:05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.श्यामअचल राजभर पुत्र रामेश्वर निवासी भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।
- 2.रविन्द्र राम पुत्र परशुराम निवासी भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 140/2024 धारा 34/323/332/353/504/506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

#### आपराधिक इतिहास-

**रविन्द्र राम पुत्र परशुराम निवासी भुवना बुजुर्ग/चकभुवना थाना जीयनपुर आजमगढ़**

1.मु0अ0सं0 326/2017 धारा 323/504/506भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-** व0उ0नि0देवेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 राजेश कुमार, का0 निलेश प्रताप सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़।

## थाना- बरदह

### दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 13.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त अनमोल उर्फ प्रिन्स पुत्र सलिराम ग्राम नरवे थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने वादिनी के साथ दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 118/24 धारा 323/376/452/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 13.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक बरदह अखिलेश कुमार मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनमोल उर्फ प्रिन्स पुत्र सलिराम उर्फ सतिराम ग्राम नरवे थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को नरवे नहर पुलिया से समय करीब 13:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** अनमोल उर्फ प्रिन्स पुत्र सलिराम ग्राम नरवे थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 118/24 धारा 323/376/452/506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

#### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 118/24 धारा 323/376/452/506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 234/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 201/21 धारा 380/411/413/414/457 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 206/21 धारा 307/398/401/411/467/468/471 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-** प्र0नि0 अखिलेश कुमार मौर्य, का0 सूरज सिंह, का0 राजेन्द्र कुशवाहा, का0 आशुतोष, म0का0 प्रीती पटेल थाना बरदह, आजमगढ़।

## थाना- कप्तानगंज

### दुष्कर्म करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना– दिनांक 08.04.2024 को वादीनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादीनी के घर पर न होने पर आरोपी बाल अपचारी द्वारा वादीनी की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया तथा वादीनी द्वारा बाल अपचारी से पूछने पर वादीनी को गन्दी- गन्दी गालिया देते हुए लाठी डण्डा लेकर मारने को आमादा हो गया तथा जाने से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 91/24 धारा- 376AB, 504, 506 भादवि व 5(M)/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लेने का विवरण– आज दिनांक 13.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल मय हमराह (शादे वस्त्रो में) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को उसके घर से समय करीब 12:25 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बाल अपचारी का नाम- बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास- निल

अभिरक्षा मे लेने वाली पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज संजय कुमार पाल, का0 प्रमोद कुमार, का0 बृजेश गौड़, महिला आरक्षी सपना थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।